

प्रेस को सूचना नोट [प्रेस विज्ञप्ति संख्या 63/2023)
तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भाद्रविप्रा ने टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियमन, 2023 का मसौदा जारी किया।

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भाद्रविप्रा) ने आज हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियमन, 2023 का मसौदा जारी किया।


2. भाद्रविप्रा ने 15 जून 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 [(2007 का 6) [इसके बाद प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित] को अधिसूचित किया था। इन विनियमों के संदर्भ में, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण (टीसीईपीएफ)" नामक एक निधि को स्थापित किया गया था। टीसीईपीएफ द्वारा उत्पन्न आय का उपयोग उपभोक्ताओं तक सूचना के प्रसार के लिए उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करने, शैक्षिक और जागरूकता सामग्री विकसित करने आदि जैसी गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। गतिविधियों की योजना नियमों के तहत गठित दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए बनाई गई समिति (इसके बाद "सीयूटीसीईएफ" के रूप में संदर्भित) द्वारा बनाई जाती है।

3. प्राधिकरण ने पाया है कि खातों की तैयारी, रखरखाव और लेखापरीक्षा, तथा सीयूटीसीईएफ की बैठकों में भाग लेने के लिए उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए, खर्च टीसीईपीएफ द्वारा किया जाना है जिसके लिए नियमों में प्रावधानों की आवश्यकता है। तदनुसार, प्रमुख विनियमों के विनियम 6 एवं 13 में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

4. वर्ष 2020 के दौरान, कॉर्पोरेशन बैंक जिसमें टीसीईपीएफ का रखरखाव किया जाता है, का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए, प्रमुख विनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों को बदलने के लिए संशोधन किए गए हैं।

5. मसौदा विनियमन भाद्रविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 14 अगस्त, 2023 तक उपलब्ध रहेगा।

6. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भाद्रविप्रा से टेलीफोन: 011-23210990 या ईमेल आईडी: Advisorit@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।



(वी. रघुनंदन)

सचिव, भाद्रविप्रा